

20/8/24

न्यायिक कार्य स्थगित/वर्धित रखने
से पत्रावली दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वादी मध्य अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
बार-बार व दफ्तर-दफ्तर आवाज लगाने पर भी वादी
व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
अतः वादी का वाद अदम हजरत अदम पेशी में
पारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला धौलवाड़ा